भारत सरकार

खान मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 66

17 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

छत्तीसगढ़ में खनिज निकालने के लिए विस्फोट करने का प्रभाव

66. श्रीमती छाया वर्माः
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को जानकारी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित खदानों से भारी विस्फोट कर कई धातुओं को निकालने की प्रक्रिया में आसपास के घरों में दरारें आ जाती हैं और लोग डरे रहते हैं कि उनके घर कहीं धराशाही न हो जाएं तथा भारी विस्फोट के कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं;

(ख) भारी विस्फोट को मानक के अनुसार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और क्या उनका पालन नहीं हो रहा है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान भारी विस्फोट के अनुमति स्तर से अधिक सघनता का विस्फोट करने के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, रायपुर, बलोद, दुर्ग तथा राजनन्दगांव जिलों में विस्फोट के बारे में प्राप्त शिकायतों के आधार पर खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) द्वारा जांच की गई थी । डीजीएमएस की सिफारिश पर चूना-पत्थर खनन पट्टों को रद्द करने की कार्रवाई की गई है । इसके अतिरिक्त, पिंकापार ग्राम, जिला बलोद में स्वीकृत चूना-पत्थर खानों में विस्फोट के कारण उत्पन्न दरारों के लिए फूलसुन्दरी गांव में 157 निजी मकानों तथा 5 सरकारी इमारतों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में पांच लाख 92 हजार रूपए की राशि वितरित की गई है। खानों में डीप होल ब्लास्टिंग की अनुमति धातुमय-लौह खान विनियमन, 1961 के विनियमन 106(2) (ख) तथा कोयला खान विनियमन, 1957 के 98(1) और 98(3) के तहत प्रदान की जाती है। निरीक्षण द्वारा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है और डीजीएमएस द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। अनुमत्य स्तर से उच्च घनत्व से भारी विस्फोट केवल डीजीएमएस की अनुमति प्राप्त करने के बाद किया जा रहा हैं।

*****